बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

सं0सं0-स0क0निग0-28/2025-....1061../श्रीमती श्वेता सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बक्सर सदर, अतिरिक्त प्रभार राजपुर, बक्सर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक सं०-01-2434/स्था०, दिनांक-11.12.2024 द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमें श्रीमती सिंह के विरूद्ध अपने कार्यालय कार्यों का निष्पादन नहीं करने, अपने अधीनस्थ कर्मियों का प्रभावी अनुश्रवण नहीं करने, बाल विकास परियोजना कार्यालय, राजपुर अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों की जांचोपरांत जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई /अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने, टेक होम राशन वितरण की जाँच के दौरान पायी गयी त्रुटियों एवं कमियों के आलोक में अनुपालन/कृत कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने, वरीय पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करने, विभागीय कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने, पोषण ट्रैकर में विभिन्न पारामीटर में असंतोषजनक प्रगति पाये जाने, पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) बक्सर के लिए लाभुक वर्ग को चिन्हित नहीं करने, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य की समीक्षा नहीं करने आदि आरोप प्रतिवेदित किया गया। जिसके समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित कर आरोप पत्र के आलोक में श्रीमती सिंह से लिखित अभिकथन की मांग करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-2500, दिनांक-09.04.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(4) के प्रावधानों के तहत श्रीमती सिंह से लिखित अभिकथन की माँग की गई। जिसके आलोक में श्रीमती सिंह के पत्रांक-227, दिनांक-21.04.2025 द्वारा लिखित अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया। लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि श्रीमती सिंह द्वारा प्रशानिक कार्यों का ससमय निरीक्षण/पर्यवेक्षण नहीं किया गया तथा वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन ससमय नहीं करना उनकी स्वेक्षाचारिता, अनुशासनहीनता एवं दायित्वयों के प्रति लापरवाही का प्रतीक है। अनियमितता पर कठोर कार्रवाई नहीं करने से उसमें उनकी संलिप्ता को दर्शाता है। उनका आचरण बिहार सरकारी सेवक के आचरण नियमावली के नियम-3 (1) का उल्लंघन है। उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती सिंह के विरूद्ध 03 (तीन) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती श्वेता सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बक्सर सदर अतिरिक्त प्रभार राजपुर, बक्सर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत 03 (तीन) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16/2/26

(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-28/2025- 1061 पटना-15 दिनांक :- 20.02.2026

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16/2/26

अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-28/2025- 1061 पटना-15 दिनांक :- 20.02.2026

ईमेल/ निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/ निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, बक्सर / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव / अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग / विशेष कार्य पदाधिकारी(स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती श्वेता सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बक्सर सदर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/16/2/26

अपर सचिव

समाज कल्याण विभाग।